



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनूं में ग्राम पंचायत बेरला, पंचायत समिति सूरजगढ के ग्राम विकास अधिकारी 8,50,000 /— रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 25 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बेरला, पंचायत समिति सूरजगढ को परिव्रादी से 8,50,000 /— रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिव्रादी ने गांव बेरला में स्थित स्वयं की आवासीय भूखण्ड में मेडिकल दुकान का संचालन करता है। परिव्रादी द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड में स्थित दुकान को व्यवसायिक में परिवर्तित करवाने हेतु ग्राम पंचायत बेरला में आवेदन किया था। राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बेरला द्वारा परिव्रादी के आवासीय भूखण्ड को व्यवसायिक भूखण्ड में परिवर्तित करने, भूखण्ड की एन.ओ. सी. जारी करने की एवज में दिनांक 19.05.2026 को परिव्रादी से 8.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 21.05.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन पुनः करवाया गया तो आरोपी राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि स्वयं को देने के लिए कहा गया।

जिस पर ए.सी.बी. के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की झुंझुनूं इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार पूनियाँ मय टीम द्वारा रिश्वत मांग के अनुसरण में आज ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तथा आरोपी राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी ने परिव्रादी को दीपक मेडिकोज सूरजगढ पर बुलाया जहां आरोपी को परिव्रादी से 8.50 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 8.50 लाख रुपये आरोपी राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी के हाथ से बरामद की गई। मौके पर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।